न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 30 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट	रैस्पोडेंटगण
1. पूनमाराम पुत्र श्री टीकमाराम जाति जाट निवासी धोलाडेर, सणपा मानजी (खरटिया), तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।	**बनाम** 1.भगवानाराम पुत्र श्री टीकमाराम 2.पीराराम पुत्र श्री भगवानाराम 3.अमराराम पुत्र श्री भगवानाराम 4.भंवरा पुत्र श्री भगवानाराम जाति जाट निवासी धोलाडेर सणपा मानजी(खरटिया) तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर। 5.शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. बायतु वर्तमान एस.बी.आई.बायतु 6.श्रीमान तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 79 / 2016 बअनवान पीराराम बनाम भगवानाराम में पारित आदेश दिनांक 17.05.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से उप.।
2. वकील श्री उगराराम सहारण रेस्पोडेंट की ओर से उप.।

निर्णय

दिनांकः— 16.09.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उतरदातागण संख्या 02 ने उतरदातागण संख्या 1 व 3 ता 5 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी पी सी का पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत गौर नहीं किया। वर्तमान राजस्व रेकर्ड के मौजा धोलाडेर पटवार मण्डल सणपा मानजी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 23, 24 रकबा क्रमशः 0.06 बीघा, 79 बीघा कुल रकबा 79.06 बीघा किस्म बा.दो. का आया हुआ है जो व मूल खसरा संख्या 23, 24 रकबा क्रमशः .06 बीघा, 158.05 बीघा, कुल रकबा 158.11 बीघा का हिस्सा है जिसमें अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंटगण 01 पैतृक संयुक्त खातेदार है वादग्रस्त आराजी पैतृक खातेदार की भूमि हैं। तथा वक्त सैटलमेंट अपीलांटगण के पिता टिकमा के नाम पैमाईश होकर खातेदारी में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

दर्ज हुई जिसका प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प खरटिया में दिनांक 11.12.2010 को पेश होकर बंटवारा करवाया उक्त बंटवारा के विरूद्ध श्रीमान अपर जिला कलक्टर बाड़मेर में अपील विचाराधीन हैं। वादग्रस्त आराजी में से 12 बिस्वा भूमि जरिये आदेश दिनांक 20.02.2019 राजस्व आवेदन सख्या 317/2018 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जा चुका है, उतरदातागण 01 को प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प खरटिंया में दिनांक 11.12.2010 को पेश होकर किया गये बंटवारा से गलत तरमीम कायम होने का ज्ञान 2016 में हो गया जिसका नाजायज फायदा उठाने तथा मौके पर आदिम समय कायम व उपयोग होने वाले रास्ते के भविष्यलक्षी रेकर्ड परिवर्तन व उपयोग में बाधा उत्पन्न की दुर्भावना को रखकर पिता पुत्रों ने साजिशपूर्वक अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह कर व वास्तविकता को छिपाकर, अपीलांटगण हितबद्ध पक्षकार होने के बावजूद गलत ढंग से पक्षकार निर्मितकर अपीलांटगण को पक्षकार न बनाकर अधीनस्थ न्यायालय श्री ने मात्र पक्षकारों के कथनों के आधार पर बिना वास्तविकता व सच्चाई का पता किये पक्षकार के सद्भाविक क्लीन हेंण्ड होने का परिक्षण किये अपीलाधीन आदेश विधि की दृष्टि में दूषित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंटगण राजस्व रेकर्ड में हेराफेरी कर जबरन एवं नाजायज रूप से दखलदांजी कर अपीलांटगण को उनके कब्जा काश्त से बेदखल करने तथा उसको आम रास्ता के उपयोग व उपभोग के हक–हकूक से उक्त स्थगन के जरिये महरूम करने को आमादा है जिससे अपीलांटगण के न्यायिक हितों पर कुठाराघात होगा तथा अपीलांटगण अपने जायज व वैध अधिकारों से वंचित हो जायेगा तथा उसे अपूर्णीय क्षति कारित होगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आनन–फानन में पारित आदेश न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय से हस्तगत प्रकरण में अवैध तरीके से लिये गये स्थगन आदेश को अपास्त फरमाया जावे। हस्तगत प्रकरण में पारित आदेश से सार्वजनिक रास्ता रूका है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंटगण ने अपनी बहस में बताया कि पैतृक जमीन को लेकर हुए बंटवारे के विरूद्ध प्रकरण संभागीय आयुक्त महोदय के न्यायालय में अपील होकर विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता काटा गया वो

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलांटगण द्वारा कूटरचित हस्ताक्षर करके रास्ता कटवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया है जिससे अपीलांटगण के हित किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं हो रहे है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 96 सी पी सी के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 96 सी पी सी के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंटगण द्वारा वास्तविकता को छिपाकर, अपीलांटगण हितबद्ध पक्षकार होने के बावजूद गलत ढंग से पक्षकार संयोजन करके अपीलांटगण को पक्षकार न बनाकर गलत तथ्य दस्तावेज पेश कर विधिक प्रक्रिया व सिद्धांतों से परे जाकर प्रकरण पेश किया अनुचित रूप से पारित आदेश शून्य व निष्प्रभावी आदेश पारित करवाये गये जो विधि की मंशा के खिलाफ है। उक्त अपील में अपीलांटगण हितबद्ध पक्षकार होने से अपीलांटगण को आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंटगण ने धारा 96 सी पी सी पर बहस करते हुए निवेदन किया अपीलांटगण हस्तगत प्रकरण में हितबद्ध एवं पीड़ित पक्षकार नहीं होने से अपीलांटगण को अपील प्रस्तुत करने का कोई हक नहीं होने से अपीलांटगण को आवेदन खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष को धारा 96 सी पी सी पर सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलाधीन आराजी अपीलांटगण की पैतृक हक हकूकों तथा खातेदारी अधिकारों की हैं जिसमें वर्तमान में अपीलांटगण का कब्जा काश्त है, उक्त आराजी में से गुजरने वाले आम रास्ता का वो उपयोग व उपभोग कर रहे हैं। अतः अपीलांटगण हस्तगत अपील में प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार होने से धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि अपीलाधीन आराजी मूल खसरा संख्या 23, 24 मौजा सणपा मानजी तहसील सिणधरी अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंटगण 1 की पैंतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि है। अपीलाधीन आराजी में मौके पर आदिम समय से कायम व उपयोग होने वाले रास्ते को बंद करने की मंशा से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंटगण द्वारा आवेदन स्वच्छ हाथों से पेश नहीं

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

किया गया। अपीलाधीन आदेश की आड़ में **अपीलांटगण को कटाण रास्ते के उपभोग से महरूम किया जाता है तो अपीलांटगण को अपूर्णीय क्षति होना संभाव्य है।** अपीलांट की अपील खारिज की जाती है तो सार्वजनिक हित प्रभावित होकर मात्र अपीलांटगण का ही रास्ता अवरूद्ध नहीं होगा बल्कि इस रास्ते की अविच्छिन्नता (Continuity) टूट जाएगी है और इसका सार्वजनिक उद्देश्य ही विफल हो जाता है। अपीलांट हितबद्ध पक्षकार होने के बावजूद भी उन्हें पक्षकार नहीं बनाने से आलोच्य आदेश विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से यथावत रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 79/2016 बअनवान पीराराम बनाम भगवानाराम में पारित आदेश दिनांक 17.05.2016 को अपास्त किया जाता है।

16/9/2020

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 16.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/9/2020

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner